दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 58* ❑ *अंक-10* ❑ *दिल्ली* ❑ *मार्च 2020 (द्वितीय)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

बाबा साहब डा. अम्बेडकर, बौद्ध धर्म और धर्मांतरण

डा. बाबूलाल चांवरिया

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने बौद्ध दर्शन और उसकी नैतिक जीवन दृष्टि की गहनता से अध्ययन किया था। बौद्ध दर्शन उनकी निगाह में एक ऐसी ऐहिक जीवन प्रणाली थी जिसका केन्द्र बिन्दु केवल मात्र मनुष्य था। भारतीय दर्शन में आत्मा और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला एकमेव धर्म यही है जिसमें मनुष्य के ऐहिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म का जो तर्कपूर्ण विरोध किया था उसके पीछे यह लक्ष्य था कि हिन्दू धर्म चेतना आत्मा– परमात्मा के सम्बन्ध को महत्व देती है जबकि केन्द्र बिन्दु मनुष्य है। हिन्दू धर्म आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रणाली से प्रेरित पुनर्जन्म पर जितना विचार करता है उतना लौकिक जीवन पर नहीं करता। इसलिए मनुष्य जन्म के पहले और मनुष्य की मृत्यु के बाद जो एक अतार्किक और काल्पनिक लोक हो सकता है उसी पर बल दिये जाने के कारण इन दोनों के बीच जो लौकिक जीवन का अन्तराल है वही अछूता रह जाता है।

बुद्ध ने केवल ब्रह्म और मायावाद का खंडन नहीं किया बल्कि इनके कर्मफल और दैववाद जैसे मानव विरोधी दार्शनिक विचारधाराओं का भी खंडन किया है।

क्रांतिकारी विचार

मानवी आचरण को भगवान बुद्ध ने एक निश्चित व्यवस्था दी थी। ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार किए बगैर मनुष्य दुखों को जान सकता है और इसी ऐहिक जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञा, करुणा और शील ये वो तीन रत्न हैं जिनके द्वारा मनुष्य मानवीय जीवन की तमाम चिंताओं को और उसके साथ जुड़े आह्वानों को झेल सकता है। बुद्ध ने अपने दस क्रांतिकारी दार्शनिक विचार उस जमाने में बोली जाने वाली बहुजनों की भाषा में दिया, इसलिए संस्कृत के साथ जुड़ा धर्म और पुरोहितवादी सत्ता को 'पाली' की भाषिक अस्मिता ने परास्त किया।

हिन्दू धर्म के दोहरे मापदण्ड

दूसरी तरफ भारत में हिन्दू धर्म हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों, अनेक सभ्यताओं को समाहित करके फलीभूत हुआ। लेकिन इसका एक कलुषित पक्ष चातुर्वण्य आचार संहिता रहा है, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मुकाबले समान स्तर पर रखने में असमर्थ रहा। फलतः विभिन्न जातियों का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ और हिन्दू धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति लगभग साढे छः हजार जातियों में विखण्डित हो गई। हिन्दू धर्म की अनेकता में एकता की दार्शनिक और आध्यात्मिकता गरिमा क्षण–भर में भंग हो गई। एक वर्ण अपनी सीढ़ी क्रम में निचले वाले वर्ण को पशुत्व के व्यवहार में बदल गई। शूद्र कहलाने वालों को मानवता के सामान्य अधिकारों से भी वंचित किया गया। हिन्दू धर्म में गन्दे पशुओं को स्पर्श से पाप–क्षलन की सन्तुष्टि होती है उसी धर्म का तथाकथित उच्च वर्गीय समुदाय शूद्र कहलाने वाले बहुसंख्यक मनुष्य के स्पर्श से पाप का अधिकारी बन जाता है। विडम्बना यहां तक ही नहीं रुकी, निचली जातियों को जीवन के अधिकांश दायरों से बाहर रखा गया। उनकी बस्तियां, उनके पनघट, उनके श्मशान, उनके बाजार, उनके मंदिर से सारे जैसे अछूत हो, उनका तिरस्कार किया गया। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण का विकराल चक्र हजारों बरसों से इन जातियों को रोंदता रहा है।

इन्हें दरिन्द्रता, अज्ञानता, अन्धश्रद्धा के गर्त में निरन्तर फंसा कर ऊंची जातियों की मानसिक गुलामी के नियंत्रण में रखा गया। इन स्थितियों का नतीजा इतना भयंकर निकला कि बहुसंख्यक समुदाय की मानसिकता पूर्व जन्म, कर्मफल को ही नियति मान बैठा। हिन्दू सत्ताधीश भी यही चाहते थे कि चातुर्वण्य व्यवस्था में ही उनके

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

विविधता में एकता का ढोंग

देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोादी से लेकर उनकी भाजपा पार्टी के नेता राजनीतिक मंचों और सभाओं में गर्व के साथ कहते फिरते हैं कि भारत के 130 करोड़ लोग हमारी शक्ति हैं और वे विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों में बंटे हुए, विभिन्न भाषा–भाषी होते हुए व विभिन्न प्रदेशों में रहते हुए, विभिन्न वेशभूषा, आचार–विचार, परम्पराओं को निभाते हुए भी सब भारतीय हैं। यही हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। हिन्दुस्तान में रहने वाले सारे लोग भाई–बहन हैं और देश के संविधान की दृष्टि में सब एक समान हैं और सबके बराबर के अधिकार हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2014 में देश की कमान सम्भाली। देश के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सोच, विचारधारा और संकीर्णता से ऊपर उठकर मोदी जी के वायदों पर विश्वास कर खुलकर वोट दिया और उन्हें भारी मत से जीताकर उनकी बहुमत की सरकार बनवाई। उनके पांच साल के कार्यकाल में लोग आस लगाये बैठे रहे कि मोदी जी अपने वायदों को पूरा करेंगे जिससे देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म करेंगे, जिससे देश में आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक समानता कायम होगी और लोग उनकी सरकार में अपने को सुरक्षित, विकसित, पल्लवित, निश्चिंत समझेंगे। इसके लिए लोग टकटकी लगाये उनकी ओर देखते रहे, पर हुआ इसका एकदम उलटा। देश से भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर उन्होंने रातोंरात 'नोटबन्दी' की घोषणा कर दी। इसके तहत एक हजार व पांच सौ के नोटों को अवैध घोषित कर दिया। लोग खून पसीने की अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए बैंकों के सामने लम्बी लाइनों में भूखे–प्यासे खड़े रहे। इसके बाद मोदी जी ने देश में एक समान कर–प्रणाली के बहाने से 'जी.एस.टी.' प्रणाली लागू कर दी। 'नोटबन्दी' की मार से लोग अभी उभरे ही नहीं थे, जी.एस.टी. के लागू होने से उन पर ऐसी मार पड़ी कि उन्हें अपनी दुकान, कल–कारखानों पर ताला जड़ कर बैठना पड़ा। उनमें काम करने वाले मजदूरों को रोटी के लाले पड़ गये। मोदी सरकार से जो लोग गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मिटाने की आस लगाये बैठे थे, उन पर उल्टा बेरोजगारी, मंदी, महंगाई, भ्रष्टाचार का पहाड़ टूट पड़ा।

मोदी जी की सरकार के इस कार्यकाल में धार्मिक उन्माद भी खुलकर सामने आया जब भाजपा के सहयोगी अंग–गोरक्षा दल, बजरंग दल के लोगों ने गोरक्षा के नाम पर देश में उत्पात शुरू कर दिया। इसमें खुलकर मुस्लमानों को निशाना बनाया गया, गो मांस के नाम पर उत्तर प्रदेश में अखलाक की हत्या कर दी गई और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में भी मुस्लमानों को आतंकित किया गया। गोरक्षकों के उत्पीड़न से दलित भी नहीं बच सके। गुजरात के ऊना जिले में पांच दलित युवकों को मरी गाय की खाल उतारते हुए पकड़कर मार–मार कर अधमरा कर दिया गया। इसके बाद गो रक्षा के नाम पर उत्पीड़न का यह तांडव सारे देश में फैल गया, इसका न तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आलोचना व भर्त्सना की और न

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी-3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

डॉ. अम्बेडकर का धर्मांतरण–हिन्दूधर्म से बौद्ध धर्म में

डॉ. प्रभु नारायण विद्यार्थी

भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में डॉ. अम्बेडकर का अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था से पीड़ित अस्पृश्यों को बौद्ध धर्म से जोड़ा। उन्हें धर्मांतर का रास्ता दिखाया। उन्होंने स्वयं ही इससे मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म को अंगीकार किये। वे भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न के शिकार थे। वे जीवन भर कदम–कदम पर अपमान, तिरस्कार और घृणा झेलते रहे। उससे मुक्ति के लिए उन्होंने लम्बा संघर्ष किया, पर वर्णवादी समाज किंचित भी हक और सम्मान देने को तैयार न हुआ।

इनके पूर्व तथागत बुद्ध, गुरु गोरक्ष, नानक, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु जी जैसे मनीषियों ने भी संघर्ष किये थे, पर इससे वैषम्यपूर्ण विभेदकारी व्यवस्था की दीवारें तो हिलीं, पर समूल नष्ट नहीं हो सकी। मनु की जड़ व्यवस्था इतनी गहरी पैठी थी कि विचारों के साधारण हथौड़ों से नहीं टूटी। डॉ. अम्बेडकर पर इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतर भी हुए। 1000 वर्षों तक भारत विदेशियों का गुलाम भी रहा। लम्बे अरसे तक हूण, कुषाण, बैक्ट्रियन, पार्थियन, शिथियन के आक्रमण भी हुए। वर्ण व्यवस्था के कारण सिर्फ क्षत्रिय ही लड़ सकते थे। मात्र उन्हें ही शस्त्र धारण करने का अधिकार था, शेष वर्ण तो निष्क्रिय थे। उन्हें सत्ता और आक्रमण से कोई लेना–देना न था। वे मूक दर्शक हो, सब देखते रहे। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का शस्त्र धारण करना, वर्ण धर्म के विरुद्ध था। ऐसी ही स्थिति में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यदि भारत में शूद्र समाज को भी शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो हमारा महान भारत कभी भी गुलाम नहीं बनता चाहे कितनी ही ताकतवर देश हमला क्यों न करता।

भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक वैषम्य के पीछे हमारे धार्मिक ग्रन्थ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, धर्मसूत्र, स्मृतियां और पुराण में धर्म का अर्थ 'वर्ण धर्म' है। रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता 'वर्ण व्यवस्था' और जाति रहते देश कभी एक नहीं हो सकता और न उसकी प्रगति हो सकती है। वे जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि भारत में ब्राह्मणवाद के रहते आप जाति की नींव पर कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते, न ही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जाति की नींव पर कुछ भी निर्माण करेंगे तो उसमें दरारें अवश्य ही आयेंगी और वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर ने काफी प्रयत्न के बाद जब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं देखी तो उनके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन आया। उनके विचार स्पष्टतः व्यक्त होने लगे कि जिस धर्म में समान अधिकार नहीं, मानव–मानव में प्रेम नहीं, वह धर्म नहीं फांसी का फंदा है।' उन्होंने कहना शुरू किया कि हिन्दू धर्म को सुधारना हमारा लक्ष्य नहीं है, यह हमारा कार्य नहीं है। अपनी आजादी के लिए लड़ना और अपनी आजादी हासिल करना–यही हमारा लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म की जड़ में खराबी पैदा हो गई है। मेरी समझ में बौद्ध धर्म ही सबसे उचित धर्म है क्योंकि इसमें ऊंच–नीच, जात–पांत, वर्ण व्यवस्था भेदभाव नहीं है। अमीर–गरीब का सवाल ही नहीं है, सिर्फ मानव–मानव के लिए है।

डॉ. अम्बेडकर में बौद्ध धर्म के प्रति रुझान विद्यार्थी जीवन से ही हो गया था। डॉ. केलुस्कर प्रदत्त पुस्तक के अध्ययन से उनमें बौद्ध धर्म के बीज अंकुरित होने लगे थे। बुद्ध के समानतावादी विचार उन्हें अच्छे लगते।

बुद्ध ने किसी बात को अंधविश्वास से मानने से रोका। उन्होंने कहा–''किसी बात को जानो तब मानो।'' जबकि दूसरे धर्मों में तर्क की गुंजाइश नही। वहां है 'मानो तब जानो।' इतना ही नहीं विचारों की आजादी बुद्ध ने दी। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को गौरव प्रदान करने के लिए मत मान लो, उसकी परीक्षा करो और हृदय स्वीकार करे तब मानो। बुद्ध ने यह भी कहा कि कोई विचार इसलिए ग्राह्य नहीं है कि मैंने तरह माना नदी पार करने के लिए ढोये–ढोये फिरने के लिए नहीं। आज धर्म को हम एक सम्प्रदाय के रूप में ढोए–ढोए फिर रहे हैं। धर्म और साम्प्रदायिकता के कारण आज विश्व अशांत है। 3000 वर्षों की सभ्यता में 15000 युद्ध इन्हीं धर्मों के कारण हुये थे। बुद्ध ने धर्म की संकीर्णता से विश्व को मुक्त किया।

बुद्ध ने वर्ण और जाति की संकीर्णता से उबारा। उन्होंने कहा, ''बुद्ध धर्म में प्रविष्ट लोग जाति से वैसे ही विमुक्त हो जाते हैं जैसे छोटी–छोटी नदियां अपनी पहचान और निजता खोते समुद्र में मिल जाती है। वहां नदी की अपनी पहचान नहीं होती।'' बौद्ध धर्म में सभी जाति और वर्णों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं जबकि हिन्दू धर्म में धर्मांतरण की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि धर्मांतरित लोगों के वर्ण और जाति के लिए यहां कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि आज विश्व में 52 देशों में इस्लाम है और उससे भी ज्यादा देशों में ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म भी अनेक देशों में है पर हिन्दू धर्म भारत की सीमा में ही घूट रहा है। अपनी

को भारतीय संविधान का घन चलाना पड़ा। भारत के दलितों के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि वे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने दुनिया घूमकर, स्वयं झेलकर और हजारों ग्रन्थों का अवलोकन कर समतावादी समाज रचना का जो सपना देखा, उसे भारतीय संविधान में प्रारूपित कर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने 1922 से ही शूद्रों की आजादी, समान दर्जे की मांग, मंदिर प्रवेश, तालाब व बावड़ी में अछूतों को पानी भरने, पृथक निर्वाचन के अधिकार के लिए आन्दोलन और सत्याग्रह प्रारम्भ किया, किन्तु वर्णवादियों के विचारों में किंचित परिवर्तन नहीं आया। 1932 में गांधी जी से भी मिलकर शूद्र समाज की स्थिति में परिवर्तन की मांग रखी, पर उन्हें सदैव निराशा ही हाथ लगी। तब उन्हें कहना पड़ा कि हिन्दू धर्म में सुधार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, पंडिता रमाबाई ने भी प्रयत्न किए, पर किंचित सुधार के साथ यह नक्कार खाने में तूती की आवाज सिद्ध हुई। अस्पृश्यता और सामाजिक वैषम्य के कारण भारत में बड़े पैमाने का पोषण करते हैं। शम्बूक की हत्या ओर एकलव्य का अंगूठा काटा जाना वर्ण व्यवस्था के विचलन के कारण ही हुआ। वर्ण धर्म के उल्लंघन से गीता में ईश्वर का अवतार कराया जाता है। गीता की स्पष्ट मंशा है कि लोग वर्ण धर्म पर चलें, यही स्वर्ग प्रदायक है। इसका किंचित विचलन अधर्म है। अधर्म साधुजनों के लिए कष्टकर है। साधुजनों के परित्राण, वर्ण धर्म तोड़क दुष्कर्मियों के विनाश और वर्ण धर्म की स्थापना के लिए जब–जब जरूरत पड़ी तो ईश्वर अवतार लेता है। मनुस्मृति तो हिन्दुओं का कानून है जो वर्ण व्यवस्था का पोषण करता है। डॉ. अम्बेडकर मनुस्मृति को ही वर्ण व्यवस्था का आधार मानते थे। उन्होंने साफ–साफ कहा, ''मनुस्मृति हिन्दुओं का वह काला कानून है जिसमें ऊंच–नीच, छुआछूत, भेदभाव के विचारों ने शूद्र तथा अतिशूद्र समाज को पतन के गड्ढ़े में ढकेला है तथा मनुस्मृति विषमता, अन्याय और क्रूरता की समर्थक है।''

डॉ. अम्बेडकर वर्ण और जाति प्रथा को निरर्थक और विषमतामूलक मानते थे। भारत में सारी बुराइयों, पाखण्डों, अंधविश्वास और विषमताओं की जड़ में वर्ण और जातिप्रथा है। उन्होंने कहा–''वर्ण वे अछूतपन को उन्नति और विकास मार्ग के स्थायी रोड़े मानते थे। उस रोड़े को हटाये बिना शूद्रों का रास्ता सुगम होने वाला नहीं है। उनको दृढ़ विश्वास हो गया था कि धर्मांतरण से ही यह रोड़ा हट सकता है। बिना धर्मांतरण के यह रोड़ा हटने वाला नहीं और न ही नष्ट होने वाला ही है। अस्पृश्यता को उन्होंने गुलामों से बदतर माना और इसे भारत का कलंक कहा। उन्होंने अस्पृश्यता, विषमता से मुक्ति तथा इन्सानियत का जीवन जीने के लिए एक मात्र रास्ता धर्मांतरण को बताया। उन्होंने सरेआम घोषणा की कि ''यदि आपको समानता का दर्जा पाना हो तो धर्मांतर करो, यदि आपको इन्सानियत से मुहब्बत हो तो धर्मांतर करो, यदि आजादी आपको प्राप्त करनी हो तो धर्मांतर करो।''

अम्बेडकर ने प्रगतिशील एवं शक्तिशाली राष्ट्र के लिए ऊंच–नीच की भावना को अनावश्यक माना। जैसे ऊंची–नीची जमीन में अच्छी पैदावार की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार समाज में ऊंच–नीच की भावना पैदा करके एक अच्छे प्रगतिशील एवं शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उचित समानता वाले धर्म अपनाने की राय दी। कहा है, बाप दादों से चलती आई है या धर्मग्रन्थों में लिखा है। धर्मग्रन्थ व्यक्ति विशेष की लिखी है जिनमें उस व्यक्ति, समाज और परिस्थिति की छाप होती है। कुछ धर्मग्रंथ खास विचारों के प्रचारार्थ वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से लिखे गए जो बहुसंख्य जनों के हित और समानता के विरुद्ध है।

बुद्ध व्यक्ति के 'स्व' को विकसित करना चाहते थे। उनके विचारों में आत्मा और ईश्वर नहीं है। आज भी अनेक विद्वान ईश्वर को मनुष्य का मानस पुत्र मानते हैं। बुद्ध व्यक्ति में प्रकृति प्रदत्त शक्ति को विकसित कर 'बुद्धत्व' प्राप्त करना–उद्देश्य मानते थे। बुद्धत्व के बीज हर अनगढ़ पत्थर में खूबसूरत मूर्ति गढ़ लेता है। अपने को जगाने अैर विकसित करने का रास्ता बुद्ध ने दिखाया। उन्होंने किसी अलौकिक गुरु या स्वामी का निषेध किया। कहा–''अत्त दीपो भव' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो। कोई गुरु तुम्हारा दीपक नहीं हो सकता। व्यक्ति अपना स्वामी आप है–''अत्ता हि अत्तनो नाथो''।

बुद्ध आचरण पर ज्यादा जोर देते थे। 'पंचशील' के आचरण से ही समाज में सुख, चैन और शान्ति आ सकती है। धर्म को नाव की आन्तरिक कमियों के कारण हिन्दू धर्म का विस्तार असंभव है।

बुद्ध ने अपने स्वार्थ से उठकर बहुजन हित के लिए भिक्षुओं को विचरण करने को कहा–''भिक्षुओं–बहुजनों के हित, अनुकम्पा के लि सदैव विचरण करो।'' इस प्रकार चार 'आर्य सत्य' और 'आर्य आष्टांगिक मार्ग' का अनुसरण करते हुए तृष्णा से मुक्त जीवन की कामना की। अनात्म, अनित्य और अनीश्वरवाद की भित्ति पर बौद्ध धर्म की इमारत खड़ी है। यहां सबों को समानता का अधिकार है और जाति एवं वर्ण का कोई विभेद नहीं है। बुद्ध ने परिवर्तन को जीवन का सत्य माना। जीवन और जगत में क्षण–क्षण परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन संसार में व्यवस्था की जड़ता को मिटाकर नवीनता का संकेतक है। वृक्ष अपने पुराने पत्तों को त्यागता है ताकि वृक्षों में नए पत्ते आ सकें। यही बुद्ध के परिवर्तनवादी सिद्धांत से जड़ीभूत वर्ण और जाति व्यवस्था टूटेगी, शोषण से मुक्ति मिलेगी–समाज में समता आयेगी–यह है बौद्ध धर्म का शाश्वत और आशावादी संदेश।

डॉ. अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था से जले थे, भारत की विषमता को

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पृष्ठ 1 का शेष....बाबा साहब डा. अम्बेडकर, बौद्ध धर्म और धर्मांतरण

स्वार्थ और अधिकार सुरक्षित हैं जो स्थायीत्व प्राप्त कर लें। ऊंचे अध्यात्म सर्वोच्च संस्कृति, मानव गरिमा कहने वाला धर्म आचार संहिता में निहायत घृणित दोहरे मापदण्ड का अपरिहार्य बन गया।

भारत में हिन्दू पैदा होना दुर्भाग्य

इस देश में धार्मिक समानता के लिए संघर्ष करने वालों की तरह बाबा साहब ने शुरू में यही सोचा था कि अपने संघर्षपूर्ण क्रियाशीलता के बल पर वे हिन्दू धर्म में रहकर ही उसमें परिवर्तन लायेंगे।

महाड़ के चावदार तालाब का पानी अछूतों के लिए उपलब्ध कराने के संघर्ष से लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के आन्दोलन जैसे संघर्षों के बावजूद भी हिन्दुओं ने अपने धार्मिक आचरण में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा, और बाबा साहब को भी पग–पग पर धार्मिक अपमान का सामना करना पड़ा। तब उन्हें येवला के महासम्मेलन में मजबूरी से यह घोषणा करनी पड़ी कि दुर्भाग्य से 'मैं हिन्दू धर्म में पैदा हो गया, यह मेरे वंश की बात नहीं थी, किन्तु मैं हिन्दू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे में भारत में बौद्धों की गणना नगण्य थे, जो आज कुल जनसंख्या का 0.67 प्रतिशत हो गई है। बौद्ध धम्म में शरण पाकर स्वाभिमान से जिन्दगी गुजर बसर करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1956 में अनिवार्य था। भारत छोड़ने के पश्चात् ईसाईयों की संख्या भी नगण्य थी, किन्तु हिन्दू कट्टर कद्दावरों के कारण आज भारत में ईसाईयों की जनसंख्या 2.16 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जैन धर्मावलियों ने भी दलितों को गले लगाकर अपने अनुपात को 0.47 प्रतिशत तक पहुंचाया है।

धर्म परिवर्तन के आंकड़े बढ़ाने की दौड़ में सिख भी पीछे नहीं हैं। किसानों, चमारों, हरिजनों को सिख धर्म में जगह देकर उन्होंने भी अपनी जनसंख्या 0.67 प्रतिशत कर ली है। भारत में धर्म परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम धर्म ने उठाया है। इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाये तो यह बात उजागर होती है कि भारत में कई मुसलमान शासक आये और गये, केवल मात्र मुगलवंश ही यहां स्थायीत्व पा सका। वह भी ब्राह्मण क्षत्रियों के है। वे भी धर्म परिवर्तन के माध्यम से हिन्दू धर्म की गुलामी से मुक्त होना चाह रहे हैं उन्हें भी अनुकूल वातावरण की बाट है।

भारत में धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण जहां स्वाभिमान की जिन्दगी जीना है, वहां संसाधनों से वंचित रखना भी है। भारत में प्रमुख संसाधन मुख्यतः पांच है जिनमें 1. राजनीति, 2. शिक्षा, 3. नौकरियां, 4. व्यापार, 5. भूमि अधिकार। 15.58 प्रतिशत शुद्ध हिन्दुओं के हाथों में आज राजनीति 66.50 प्रतिशत है। शिक्षा 78 प्रतिशत है, नौकरियां 87 प्रतिशत है, व्यापार 97 प्रतिशत है तथा भूमि 94 प्रतिशत है जबकि अशुद्ध हिन्दुओं की आज जनसंख्या 58.26 प्रतिशत है। किन्तु उनके पास आज 58.26 प्रतिशत जनसंख्या होने के बावजूद भी राजनीति में आरक्षण के कारण 30.50 प्रतिशत स्थान है। शिक्षा में सरकारी सुविधाओं के पश्चात् भी 20.50 प्रतिशत आधार है। सरकारी नौकरियों में चारों सवर्गों में आरक्षण व्यवस्था के कारण मात्र 12 प्रतिशत स्थान है। व्यापार उनके पास मात्र 2 प्रतिशत है तथा भूमि अधिकार

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से आज दलित–पिछड़ी जातियां ऊपर उठ रही हैं। हर मोर्चे पर निषेध, विद्रोह और निर्णय की प्रक्रिया घटित हो रही है। आज धर्मान्तरण की उस ऐतिहासिक घटना (1956) को 64 वर्ष हो रहे हैं। लगभग तीन पीढ़ियां अपनी अस्मिता को नया रूप देने के लिए संघर्षपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। इन पीढ़ियों का हर निषेध, प्रत्येक विद्रोह और निर्णय डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन की नीति हो या शिक्षा प्रसार हो, आर्थिक कार्यक्रम हो या फिर साहित्यिक आन्दोलन इन सभी क्षेत्रों में उनकी मानसिक पृष्ठभूमि की ही झलक मिलती है। किन्तु इसके विपरीत धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह से सत्ताओं को अपने हित में इस्तेमाल करने वाला कट्टर हिन्दू तबका आज भी पीड़ितों पर दबाव डाल रहा है। पर अब यह निश्चित तौर पर दलित पीड़ित पिछड़ी जातियां अब जागरूक हो गई। अपने अधिकारों के प्रति और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष के परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार हो गई है। दलितोत्थान और मानव विकास में धर्मान्तरण क्रांतिकारी परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका बन चुका है। •

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/– मनीआर्डर से आज ही भेजें–
सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936,
फोन : 011-27421449

वश की बात है।' इस प्रतिज्ञा को लेकर उन्होंने 21 वर्षों तक हिन्दू धर्म में परिवर्तन की बाट देखी, लेकिन दकियानुसी हिन्दू मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। अन्तोगतवा वे लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में 14 अक्तूबर, 1956 को भगवान बुद्ध की शरण में चले गये। इतिहास के मंथन में और प्रत्यक्ष कृतियों के तजुर्बों ने उन्हें इस फैसले पर पहुंचने की प्रेरणा दी, कि अब धर्मांतर ही एक ऐसी धारणा हो सकती है जो दास भावना से पूरी तरह पीड़ित और पस्त मानसिकता में संस्कृरित जाति को अपनी पहचान और प्रतिष्ठा दे सकती है। गुलाम या आश्रित रहकर स्वामी या आश्रयदाता को बदलना कैसे संभव था? यह तभी संभव था जब समूची आश्रय भावना को ही निकाल फेंका जाये।

हिन्दू धर्म छोड़ने वाले अब 16.16 प्रतिशत

बाबा साहब के साथ लाखों पद–दलितों तथा आज करोड़ों की संख्या में शोषितों–पीड़ितों का धर्म परिवर्तन हिन्दू कट्टरवादिता के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक तथा धार्मिक कुचक्रों के अहसासों का परिणाम है। इस बात की पुष्टि आज के बढ़ते धर्म परिवर्तन से भी होती है कि 1956 आश्रय से, और उसने हिन्दू धर्म की संकीर्णता का लाभ उठाते हुए दबे कुचले लोगों में इस्लाम का प्रसार किया। विभाजन के पश्चात् का सर्वेक्षण साबित करता है कि भारत में वास्तविक मुसलमान एक दो प्रतिशत से अधिक नहीं बचा था। शेष जितने भी मुसलमान रहे हैं, वे हिन्दुओं के सताए, सेना के हारे हुए निम्न जातियों के ही लोग थे जो कभी हिन्दू धर्म के अंग थे। इस बात का प्रमाण उनके रस्मो–रिवाज, जाति, गौत्रों में स्पष्ट झलकता है। आज ऐसे इस्लामीकरण लोगों की जनसंख्या भारत में 11.19 प्रतिशत है। इस तरह भारत के मूल निवासियों के दूसरे धर्मों में चले जाने से उनकी संख्या कुल जनसंख्या का 16.16 प्रतिशत है जो शुद्ध हिन्दुओं की जनसंख्या 15.58 से 0.58 प्रतिशत अधिक है।

धर्मान्तरण का कारण असमानता

स्वाधीनता के पूर्व शुद्ध हिन्दू लगभग 15 प्रतिशत और अशुद्ध हिन्दू (दबे कुचले, पद–दलित, पिछड़े सर्वहारा, आदिम व जनजातियों सहित) 74.42 प्रतिशत लोग थे, जो विभिन्न धर्मों में 16.16 प्रतिशत चले जाने के बाद आज भारत में अशुद्ध हिन्दुओं की जनसंख्या 59.26 प्रतिशत ही रह गई। उनमें भी आज भारी मात्रा में छटपटाहट केवल 4 प्रतिशत है। भारत में संसाधनों के बंटवारे में असमानता के जारी रहने से भारत में धर्म परिवर्तन का मार्ग खुला हुआ है।

सांस्कृतिक अस्मिता की खोज

इस प्रकार उच्च जातियों का निम्न जातियों के प्रति समान आचार संहिता के अभाव तथा संसाधनों पर बराबर कब्जा जमाए रखने की भावना के कारण असन्तुष्टि से उपजा हुआ विद्रोह धर्म परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम है। भले ही सवर्ण जातियां इन स्थितियों और वास्तविकताओं का प्रतिरोध करें। इसके साथ यह भी वास्तविकता है कि हजारों वर्षों की गुलाम संस्कृति से त्रस्त सर्वहारा कौम एकाएक धर्म परिवर्तन करके हिन्दू धर्म से मुक्त नहीं हो सकती, जब तक ये (सर्वहारा) वर्ग अपनी सांस्कृतिक अस्मिता (बौद्ध धर्म) की पूरी तरह पहचान न कर पाये। इसके लिए उन्हें अज्ञान के गर्त से निकाल कर शिक्षित करना होगा, उसे आर्थिक और राजनीतिक समानता के करीब लाने के लिए निश्चित सुविधाएं देनी होंगी। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस दिशा में कई क्रांतिकारी उपबंधों का सूत्रपात किया है।

दलितोत्थान में धर्मान्तरण सफल

पृष्ठ 2 का शेष .....डॉ. अम्बेडकर का धर्मांतरण–हिन्दूधर्म से बौद्ध धर्म में

झेले थे। इससे मुक्ति का रास्ता समता एवं मानवतावादी बौद्ध धर्म में उन्होंने पाया था। शनैः शनैः वे बुद्ध के विचारों की ओर बढ़ने लगे। 13 अक्टूबर, 1935 को यवला जिला नासिक में ऐतिहासिक भाषण करते डॉ. अम्बेडकर ने कहा–"आठ कोटि अस्पृश्यों को गुलाम बनाकर रखने वाले और कई करोड़ बहुजन समाज को अज्ञान, दरिद्रता और अत्याचार में रखने वाले और अपनी ही मां, बहन, पुत्री व स्त्री समाज को मानवता के अधिकार से वंचित रखने वाले हिन्दू धर्म में हमें नहीं रहना चाहिए। चूंकि इस धर्म में क्रमबद्ध दासता है।

यह दासता ऐसी शृंखलाबद्ध है कि इससे हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसी शृंखला को हमें तोड़ना है। इसी का निर्णय हमने आज किया है। हम अपने आपको हिन्दू अवश्य कहते हैं–लेकिन हम हिन्दू मंदिरों में नहीं जा सकते। पुरोहित नहीं बन सकते। तालाब का पानी नहीं पी सकते। यही नहीं बल्कि दूसरों को छू भी नहीं सकते और हमारे छूने से दूसरे अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे धर्म में रहकर क्या करेंगे? हम हिन्दू बनकर रहें या न रहें दोनों बराबर है। हमें हिन्दू लोग किसी प्रकार का अधिकार या सहूलियत देने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप शान्त रहें और प्रतीक्षा करें क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही इन रूढ़ियों को एक दो दिनों में किस प्रकार बदला जा सकता है? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम एक दिन या दो दिनों के लिए अछूत बनकर देखो। हमें एक या दो दिन से नहीं बल्कि सैकड़ों साल गुजर गए। न जाने कब से हम अछूत हैं। जिसने भी इसे दूर करने का संकल्प किया है या करता है वह हम पर केवल मगरमच्छ के आंसू ही बढ़ाने का ढोंग रचता है। अस्पृस्यों के सिर पर मढ़ा हुआ यह अपमान अभी तक नहीं गया है। इस अन्याय और शोषण करने वाले धर्म में रहकर यह दूर होने वाला नहीं है। यह मेरा दुसंयोग है, कि मेरा जन्म हिन्दू धर्म में हुआ, पर मैं इसमें रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। अपनी इस प्रतिज्ञा को 14 अक्तूबर, 1956 में नागपुर की दीक्षाभूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा किया। •

हिमायती
4 / मार्च (द्वितीय), 2020 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 मार्च, 2020

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 12 मार्च, 2020

सम्पादकीय का शेष.....विविधता में एकता का ढोंग

ही भाजपा के उच्चाधिकारियों ने। इसी अवधि में दलितों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बने 'अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून' में 'गैर जमानती' प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करके इस कानून को कमजोर बना दिया। इसके विरोध में जब दलित समुदाय जब सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगा, तब मोदी सरकार को इसे पूर्ववत 'कठोर' बनाने के लिए नये सिरे से कानून बनाना पड़ा। यह समाज को बांटने का काम इसलिए किया गया ताकि कोई लोकसभा चुनावों में किये गये वादों पर जवाब न मांग सके। देश में हिन्दू–मुस्लमान के बीच धार्मिक नफरत फैलाई गई। सवर्ण हिन्दू व दलितों के बीच सामाजिक असमानता को भरपूर उभारा गया। उनके सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में मिले 'आरक्षण' के प्रावधानों की अनदेखी की गई। दलितों के साथ दुर्व्यवहार, अन्याय, अपमान, दमन, शोषण की घटनायें बढ़ीं। उनकी दलित महिलाओं के साथ खुलकर बलात्कार किया गया। उनकी सच्ची बातों की अनसुनी करके उन पर उल्टे झूठे मुकदमे ठोके गये।

आज भी देश की मूलभूत समस्यायें हैं–देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इसके साथ ही लोगों के बीच से सामाजिक विषमता को दूर कर उनके बीच समता और भाईचारे का वातावरण पैदा करना। उन्हें सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया कराते हुए उनको भुखमरी से छुटकारा दिलाना, जिससे कि वे सच्चे मन से कह सकें कि वे भारतीय हैं और उन्हें 'भारतीय' होने पर गर्व है, पर मोदी सरकार की दूसरी पारी को शुरू हुए दो साल होने को हैं। देश का वातावरण पहले से भी ज्यादा विषैला हो चला है। इसमें न अल्पसंख्यक खुश हैं और न ही बहुजन आश्वस्त हैं कि उनकी उन्नति, विकास और कल्याण के लिए कुछ होने वाला है।

जम्मू–कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने से और उसे अन्य राज्यों की तरह देश की मुख्यधारा से जोड़ने से हम खुश हैं क्योंकि अब वहां भारतीय संविधान लागू होने से वहां रह रहे दलितों का सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिल सकेगा और राज्य के निर्वाचन में भी उनका आरक्षण कोटा लागू होगा, जिससे विधानसभा में जाकर दलित प्रतिनिधि दलितों की आवाज उठा सकेंगे, पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वहां जो भय का वातावरण बना हुआ है, उससे वहां के दलितों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। जम्मू–काश्मीर में दलित हिन्दू और मुस्लमानों के बीच उत्पीड़ित हो रहे हैं। वहां हिन्दू उन्हें अपना मानकर उनके साथ समता का व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हैं, वहीं उनका हिन्दू होने के कारण मुस्लमानों के उत्पीड़न से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में देश, समाज और यहां के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की ओर ध्यान न देकर नागरिकता संशोधित कानून (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.आर.सी.), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) बाहर निकाल दिया जायेगा। इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में गत 80 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं जिसमें मुस्लिम बहनों के साथ समाज के अन्य वर्ग के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। इन्हीं कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश के अन्य भागों में भी धरने–प्रदर्शन चल रहे हैं।

असमानता के ये काले कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। इसमें धार्मिक भेदभाव की बू आती है, जिसे भाजपा के कई नेताओं के भड़काऊ भाषणों ने विषमता की आग पर घी का काम किया है। दिल्ली में 24–25 फरवरी को घटी आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की घटना ऐसे विषैले भाषणों से घटित हुई जिसमें 42 निरपराध, बेकसूर लोगों की जान चली गई। दो–ढाई सौ लोग घायल हुए, करोड़ों की सम्पत्ति को आग लगाकर नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली की पुलिस मूक बनी तमाशा देखती रही। अब सेना की सहायता से मामला कुछ शांत हुआ

जल–जंगल–जमीन से बेदखल कर दिया गया। दिनभर जंगलों में घोर मेहनत करके अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाने वाले 'आदिवासी' कहां से वे अपने 'आदिवासी' होने के सबूत का कागजात दें?

आदिवासियों की तरह देश के दलितों के अन्दर भी अपने मूल निवासी होने का लिखित प्रमाण न होने के कारण अभी से भय व्याप्त है। वह और उनके पूर्वज गांव की जिस जमीन पर घर बनाकर गुजर बसर करते आये हैं, पटवारी के गिरदावरी खाते में उसका कोई उल्लेख होता नहीं है। फिर वे उस जमीन के कागजात कहां लाकर दिखायेंगे? जमीन–जायदाद, खेत, खलियान उनके हैं नहीं, सदियों से वे जमींदारों की तमीरदारी गुलामी करते पीढ़ी–दर–पीढ़ी मरते रहे। जब आज आदिवासियों से उनके आदिवासी होने का सबूत मांगा जा रहा, तो कल दलितों–बहुजनों से भी उनके 'मूल निवासी' होने का सबूत मांगा जा सकता है? ऐसे ये काले कानून दलितों के लिए भी

राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भारतीय दलित साहित्य अकादमी
बी-3/9, दूसरी मंजिल, मॉडल टाउन-1, दिल्ली-110009
मो. 9810278936, फोन : 011-27421449

महोदय, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 36वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में फैलोशिप राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम की मैं अनुशंसा करता/करती हूं–

मेरा नाम.....

पता .....

.....

मोबाईल नं. .....

अवार्ड के लिए प्रस्तावित नाम _____

पूरा पता _____

_____

_____

अवार्ड का नाम _____

अवार्ड के लिए प्रस्तावित नाम _____

पूरा पता _____

_____

_____

अवार्ड का नाम _____

लागू करने की घोषणा कर दी, जिससे देश के लोगों के अन्दर भय का नया बबाल पैदा हो गया। नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) में अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बंगलादेश के प्रताड़ित हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध को नागरिकता देने की बात है, पर इसमें मुस्लमानों को शामिल न करके उनकी उपेक्षा की गई है। इससे देश के 15 करोड़ मुस्लमानों के अन्दर असुरक्षा, भय का वातावरण व्याप्त है कि उन्हें इस कानून से कभी भी घुसपैठिया करार देकर उनकी नागरिकता छीन कर देश से बाहर निकाला जा सकता है जैसे आसाम में नागरिकता के नाम पर जरूरी कागजात न देने के बहाने 19 लाख लोगों को 'घुसपैठिये' घोषित कर दिया गया है जिसमें 14 लाख हिन्दू हैं और एक लाख आदिवासी हैं और 4 लाख मुस्लमानों को घुसपैठिये करार देकर देश से है पर भय का वातावरण वहां आज भी बना हुआ है। लोग बेघर, बेरोजगार हो गये हैं। इस आगजनी की लपटें विदेशों तक पहुंच चुकी है। वहां प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे गिर गया है। विदेशों में बैठे भारतीय लोग कहने लगे हैं कि धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश को मोदी जी–हिन्दू राष्ट्र बनाने पर क्यों तुले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) में भी भारत की मोदी सरकार के खिलाफ मानवाधिकार हनन की आवाज उठने लगी है। विदेशों में भारत की साख गिरने लगी है। इसे हमारा अन्दरूनी मामला कहकर 'मोदी जी' मौन हैं।

इन नागरिकता के काले कानूनों से देश का दलित बहुजन भी भयभीत है। उसने देखा है कि गत वर्षों में वांछित कागजात न जुटा पाने के कारण 40 लाख आदिवासियों को 'घुसपैठिये' मानकर उन्हें उनकी दुखदायी है।

आज भारतीय संविधान में मनवांछित संशोधन कर उसे कमजोर बनाया जा रहा है, उसमें दिये दलितों के आरक्षित कोटे की सीटों को उन सरकारी विभागों को प्राईवेट लोगों को बेचकर खत्म किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, दैनिक खाद्य पदार्थ महंगे हो गये हैं। जागरूक जनता को पुनः भाग्य, भगवान, धर्म–कर्म, मंदिर, देवी–देवताओं के चंगुल में फंसाने के दिन–रात षड्यंत्र हो रहे हैं। इस से लोगों के धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के नाम पर बांटा जा रहा है तो देश में एक समान भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, एकजुटता, देशभक्ति की भावना कैसे रह सकती है? ऐसी हालत में भारत में विविधता में एकता की बात करना केवल ढोंग है, क्योंकि जो असलियत है, वह सबके सामने है। •

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

अवार्ड का नाम

1. तथागत भगवान बुद्ध राष्ट्रीय फैलोशिप अवार्ड (BB)
2. भारतरत्न डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय फैलोशिप अवार्ड (AF)
3. महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय फैलोशिप अवार्ड (JF)
4. वीरांगना सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय फैलोशिप अवार्ड (SF)

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009